न्यायालय सिविल जज सी0डि0 तृतीय/ए.सी.जे.एम., अयोध्या

सरकार बनाम राघवेन्द्र यादव उर्फ राजू

जमानत प्रा0पत्र सं0–3165/2024

जमानत आदेश

दिनांक 17.10.2024

थाना–**को0 बीकापुर,** जनपद– **अयोध्या** पर पंजीकृत मु0अ0सं0–**372/2024** धारा– **64, 351(3), 127(4) बी0एन0एस0** के अन्तर्गत नामित आवेदक/अभियुक्त **राघवेन्द्र यादव उर्फ राजू** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्व है।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में निर्दोष है तथा मुकदमा/प्रकरण मे झूंठे तथ्यों के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 10.10.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों को पूरा करने को तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रा0पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय गम्भीर प्रकृति का एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना व समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। उभय पक्ष को सुनने व समस्त प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा को अपनी बातों में विश्वास में लेकर उसके साथ पन्द्रह दिन तक दुष्कर्म करने तथा किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय, अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध है। अतः अपराध में अभियुक्त की भूमिका, अपराध की प्रकृति तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

आवेदक/अभियुक्त **राघवेन्द्र यादव उर्फ राजू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर सिविल जज सी0डि0 तृतीय/ए.सी.जे.एम.,
अयोध्या।
जे0ओ0कोड यू.पी. 2551